

24/3/21

पत्रावली प्रस्तुत। मूल वाद का निस्तारण
होने के कारण प्रा० पत्र 212 RTI औचित्यहीन
है अतः प्रा० पत्र 212 RTI इसी स्तर पर
खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार
दाखिल दफ्तर होकर न० से कम है।

